रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 513] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 26, 2016/श्रावण 4,1938
No. 513] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 26, 2016/SRAVANA 4, 1938

IndiaCode

## विदेश मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2016

**सा.का.नि. 722(अ).—**पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 21 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एततद्वारा, इस निरसन से पूर्व की गई या किए जाने से छूट जाने वाली गतिविधियों के अलावा, भारत के राजपत्र, खण्ड II के भाग 3, उप-भाग (i) में संख्या जी.एस.आर. 353(अ), दिनांक 26 मई, 1976 को प्रकाशित विदेश मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना को निरस्त करती है।

[फा. सं. VI/401/1/42/2015]

अरुण कुमार चटर्जी, संयुक्त सचिव (पी.एस.पी.) एवं मुख्य पासपोर्ट अधिकारी (सी.पी.ओ.)

## MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2016

**G.S.R. 722(E).—**In exercise of the powers conferred by section 21 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of External Affairs, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 353(E), dated the 26th May, 1976, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. VI/401/1/42/2015]

ARUN KUMAR CHATTERJEE, Jt. Secy. (PSP) & Chief Passport Officer (CPO)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2016

**सा.का.नि. 723(अ).—**पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 21 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा निर्देशित करती है कि म्यांमार संघ के गणराज्य मे निवासरत भारतीय मूल के लोगों, जिनके पास म्यांमार संघीय गणराज्य की सरकार द्वारा जारी विदेशी पंजीकरण प्रमाणपत्र है, के संबंध मे ऐसे व्यक्तियों, जो उपरोक्त अधिनियम की धारा 20 के अनुसार भारत के नागरिक नहीं हैं, को पासपोर्ट जारी करने की शक्ति, भारतीय दूतावास, यांगून द्वारा इस शर्त के अधीन प्रयोग की जा सकती है कि ऐसे मामलों में उपरोक्त दूतावास द्वारा एक समय में केवल एक वर्ष की अवधि के पासपोर्ट ही जारी किए जाएंगे और ये केवल म्यांमार संघ के गणराज्य के लिए ही पृष्ठांकित होंगे ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2016 से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. VI/401/1/42/2015]

अरुण कुमार चटर्जी, संयुक्त सचिव (पी.एस.पी.) एवं मुख्य पासपोर्ट अधिकारी (सी.पी.ओ.)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2016

**G.S.R. 723(E).—**In exercise of the powers conferred by section 21 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby directs that the power to issue passports to persons who are not citizens of India under section 20 of the said Act, in respect of persons of Indian origin residing in the Republic of the Union of Myanmar and holding Foreigners Registration Certificates issued by the Government of the Republic of the Union of Myanmar, may be exercised by the Embassy of India, Yangon, subject to the condition that passports in such cases may be granted by the said Embassy for a period of one year at a time and endorsed for the Republic of the Union of Myanmar only.

2. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2016.

[F. No. VI/401/1/42/2015]

ARUN KUMAR CHATTERJEE, Jt. Secy. (PSP) & Chief Passport Officer (CPO)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.